न्यायालय जिला कलक्टर,झालावाड़
पीठासीन अधिकारी : अजय सिंह राठौड़, आई0ए0एस0

मि0नं0 22/अपील/21 तारीख दायरा 01.07.2021

उनवान अपील

रमेशचंद आत्मज भेरूलाल जाति मेघवाल निवासी हिम्मतगढ़ तहसील रायपुर जिला झालावाड़ (अपीलार्थी)

बनाम

01. गुलाब आत्मज बाला जाति दांगी निवासी हिम्मतगढ़ तहसील रायपुर जिला झालावाड़ मृतक जर्ये विधिक प्रतिनिधी
   1/1. फूलबाई पत्नी
   1/2. कारूलाल पुत्र
   1/3. रमेश चंद पुत्र
   1/4. मोहनलाल पुत्र
   1/5. बादाम बाई पुत्री
   1/6. धापूबाई पुत्री
   1/7. लीलाबाई पुत्री
   1/8. कमली बाई पुत्री पिसरान गुलाब समस्त जाति दांगी निवासीयान हिम्मतगढ़ तहसील रायपुर जिला झालावाड़
02. कारूलाल
03. रमेश चन्द
04. मोहनलाल पिसरान गुलाब समस्त जाति दांगी निवासीयान हिम्मतगढ़ तहसील रायपुर जिला झालावाड़ राज0 (प्रत्यर्थीगण)

अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार पिड़ावा राजस्व प्रकरण 09/2016 निर्णय दिनांक 12.03.2020 अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः श्री पुरीलाल राठोर अभिभाषक अपीलांट

श्री रमेश चंद मेघवाल अभिभाषक प्रत्यर्थीगण

निर्णय दिनांकः 05.03.2024

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183बी के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर उसमें प्रकथन किये थे कि ग्राम हिम्मतगढ़ के खसरा नं0 585 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा स्थित है जिसमें अपीलार्थी का 5/6 भाग खाते में दर्ज है जिस पर अप्रार्थीगणों ने अवैधानिक रूप से बलपूर्वक कब्जा कर रखा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद को वादों के रजिस्टर में दर्ज कर अप्रार्थीगण के जवाब लेकर उक्त भूमि के पूर्व खातेदार मुकन्दा द्वारा दिनांक 19.04.1974 को इस भूमि में से 10 बिस्वा भूमि गुलाब दांगी जो अप्रार्थी संख्या 01 है को

जिला कलक्टर
झालावाड़

बैचान कर दी जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की 42 का उल्लंघन मानकर उक्त आराजी के संबंध में धारा 175 काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत कार्यवाही करने का आदेष पारित किया जिससे अंसतुष्ट होकर अपीलार्थी माननीय न्यायालय की अधिकारिता में तथा उसके श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में अपील प्रस्तुत कर रहा है। साथ ही उल्लेख किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 183 बी के तहत आरटी एक्ट 1955 का आने पर उसे निहित प्रावधान के तहत वर्तमान में अनुसुचित जाति के खातेदार की जमीन पर किसी स्वर्ण व्यक्ति का अवैधानिक कब्जा है या नहीं इस पर अपना ध्यान आकर्षित करना था, धारा 175 आरटी एक्ट 1955 के तहत कार्यवाही की म्याद 30 वर्ष है जो समाप्त हो गई है एवं एक्ट की धारा 42 के अनुसार विक्रय को शुन्य माना जाना है खातेदार की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त कर प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय में चाही गई राहत दिलवाये जाने का अनुरोध किया है।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया। रेस्पोंडेंट की ओर से वकील श्री रमेश चंद मेघवाल का वकालतनाम प्रस्तुत हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण से संबंधित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तहसीलदार पिड़ावा से तलब की गई तथा प्रकरण को बहस उभयपक्षकारान रखा गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपील बहस में अपील मीमों को दोहराते हुए कहा कि विचाराधीन प्रकरण में ग्राम हिम्मतगढ़ के खसरा नं0 585 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा में प्रार्थी 5/6 भाग का खातेदार दर्ज है जिस पर अप्रार्थी ने बलपूर्वक कब्जा कर रखा है तथा तहसीलदार पिड़ावा ने दिनांक 12.03.2020 को अन्तर्गत धारा 183 बी आरटी एक्ट के तहत रमेश चंद बनाम गुलाब में जो निर्णय पारित किया है वह निरस्त किये जाने योग्य है। इस पर वकील रेस्पोंडेण्ट ने लिखित बहस प्रस्तुत कर उल्लेख किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय जेर अपील सही पारित किया है। विवादग्रस्त आराजी खसरा नं0 585 के मूल खातेदार मुकन्दा आ0 धूला द्वारा रेस्पो0 गुलाब को दिनांक 03.04.1974 को जर्ये रजिस्ट्री बेचान कर कब्जा रेस्पोंडेंट मृतक गुलाब को संभला दिया गया था तब से ही रेस्पोंडेंट का कब्जा चला आ रहा है परन्तु धारा 42 आरटी एक्ट के प्रावधानों के कारण रेस्पो0 गुलाब के नाम नामान्तरण दर्ज नहीं हो पाया था। मूल खातेदार मुकन्दा की मृत्यु के बाद उसके वारिसान के नाम उक्त आराजी में नाम दर्ज होने के कारण वारिसान से अपीलांट ने यह जानते हुए भी कि उक्त आराजी पर रेस्पो0 का कब्जा व काश्त चला आ रहा है और यह आराजी पूर्व में रेस्पोंडेंट को बेचान की जा चुकी है फिर भी अपीलांट ने इस आराजी को दिनांक 05.11.2014 को मूल खातेदार मुकन्दा के वारिसान से खरीद कर ली। यह कि एक बार सम्पति का बैचान होने पर बैचानकर्ता या उनके वारिसान दौबारा बैचान नहीं कर सकते है फिर भी नियम विरूद्ध जाकर अपीलांट ने उक्त आराजी खरीद कर की है। उक्त आराजी का मूल्य मूल खातेदार ने रेस्पोंडेंट से प्राप्त कर लिया है तो

जिला कलक्टर
झालावाड़

उस आराजी पर अपीलांट व मूल खातेदार मुकन्दा के वारिसान के कोई हक नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट मय हर्जा खर्चा खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय का अवलोकन किया गया जिससे ज्ञात हुआ कि प्रकरण में कमशः दिनांक 19.04.1974 एवं दिनांक 05.11.2014 को रजिस्टर्ड बैचान हुआ है जिसमें प्रथम बैचान दिनांक 19.04.1974 में खातेदार मुकन्दा आ0 धूला जाति चमार द्वारा गुलाब आ0 बाला जाति दांगी वगै0 को किया एवं द्वितीय बैचान मुकन्दा के वारिसान गोकुल वगै0 ने रमेश पुत्र भेरूलाल जाति मेघवाल जो समजाति वर्ग के है । तहसीलदार पिड़ावा ने प्रथम रजिस्टर्ड बैचान दिनांक 19.04.1974 पर कार्यवाही करते हुए धारा 42 आरटी एक्ट का उल्लंघन मानते हुए जो निर्णय पारित किया है उसमें इस न्यायालय द्वारा किसी भी तरह का रद्दोबदल (संशोधन) नहीं किया जा सकता है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.03.2020 न्यायोचित होने से यथावत रखा जाता है। अपील अपीलांट खारिज की जाती है। तहसीलदार पिड़ावा को आदेशित किया जाता है कि उनके द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.03.2020 के अनुसरण में प्रकरण तैयार कर उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा के न्यायालय में सुनवाई हेतु भिजवाया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार पिड़ावा को मूल पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय के संलग्न कर पालनार्थ भिजवाया जावे। पत्रावली फेसले में शुमार की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजय सिंह राठौड़)
जिला कलक्टर
झालावाड़